

20/10/22

पञ्चवली पेश डडी खरमार कि और
से चेलेर उपर अग्रणी कि नामिल
अदम लौटी है जिसके पश्चात अग्रणी
कि ललवी हेतु पुनः नोटिस तलबाना
पेश नही किया गया है। जबकि नियमांक
पुनः नोटिस तलबाना सात दिवस में
पेश करना चाहिए था जो नही किये
गये। जिससे स्पष्ट है कि अर्थ
द्वारा आई 9 R 5 सी.पी.सी में किये




तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नंबर
अहकाम
की तारीख

निर्देशों कि पालना नहीं कि गई है
जो कवेटेलना कि श्रैणी मे आता है।

मतः इस माध्यम पर
तहसीलदार श्रीमहाशय (अधी) द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पर अन्तर्गत नियम
14 (4) रा० मू० रा० अधिनियम का
आर्डर 9 R S सी. पी. सी के तहत
स्वारीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम
होकर डाकिल दफ्तर हो।


(अजिता कुमार)
अधीरिक्त
स्व. अधी. जिला न्यायालय
नौराजयाना (सीकर)

अधीरिक्त अधी
स्व. अधी. जिला न्यायालय
नौराजयाना (सीकर)